विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर

**प्रश्न**

3(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि मिर्जापुर के चुनार सीमेंट फैक्ट्री एवं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि0 की सोनभद्र जनपद में अवस्थित बीना, खड़िया, दुद्धीचुआ परियोजनाओं से विस्थापित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का मानक क्या है तथा इसके अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध करायेंगे?

**उत्तर**

जी हॉ।

चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री, मिर्जापुर की स्थापना उ0प्र0 सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 27.06.1981 को की गयी थी जिसके लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर से की गयी थी। इस कारखाने के घाटे में जाने तथा इसे रूग्ण ईकाई घोषित होने के कारण इसकी परिसम्पत्तियों की नीलामी की गयी जिसमें उच्चतम बोलीदाता मे0 जयप्रकाश एसोसिऐट्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 2006 में इसका अधिग्रहण किया गया। मे0 जयप्रकाश एसोसिऐट्स लिमिटेड द्वारा प्लान्ट के निर्माण हेतु कोई भी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गयी। जयप्रकाश एसोसिऐट्स लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2005 में प्रकाशित निविदा में अथवा उसके पश्चात विक्रय-विलेखों पर हस्ताक्षर के समय ऐसा कोई तथ्य उनके संज्ञान में नहीं लाया गया था जिससे स्पष्ट हो कि विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों के सन्दर्भ में किसी प्रकार की देयता अवशेष है। इस प्रकार मे0 जयप्रकाश एसोसिऐट्स लिमिटेड की कोई भूमिका भूमि के अधिग्रहण प्रतिकर भुगतान तथा विस्थापितों के पुनर्वासन में नहीं है।

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड(एन0सी0एल0) भारत सरकार की होल्डिंग कम्पनी है तथा उसकी R & R policy, 2012 नीति में केवल PAPs (विस्थापितों) को ही ठेकेदार द्वारा यथा सम्भव (Extent Possible) रोजगार देने का प्राविधान है। विस्थापितों के आश्रित/वंशज या स्थानीय एवं बेरोजगारों को रोजगार देने का प्राविधान नहीं है। नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन0सी0एल0) में जिस विस्थापित की भूमि कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहीत की जाती है, उन्हीं विस्थापितों को सेवायोजन प्रदान किया जाता है। नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड(एन0सी0एल0) द्वारा विस्थापितों के आश्रितों/वंशज एवं स्थानीय बेरोजगारों को यथासम्भव एवं यथोचित रोजगार M/s BGR-DECO में मिल सके इसका प्रयास किया जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उन्हें रोजगार देने का दायित्व/अधिकार एन0सी0एल0 प्रबन्धन का नहीं है।

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन0सी0एल0) की जनपद सोनभद्र में अवस्थित खड़िया परियोजना के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि इस परियोजना हेतु भूमि कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2081 दिनांक 29.06.1981 एवं अधिसूचना संख्या 3303 दिनांक 17.11.1981 के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गयी है तथा 316 विस्थापितों को एन0सी0एल0 की खडिया परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन0सी0एल0) की जनपद सोनभद्र में अवस्थित बीना परियोजना के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रतिष्ठान में कार्यरत M/s BGR-DECO के कुल कार्मिकों की संख्या 1449 है जिसमें जनपद सोनभद्र के 247 कर्मचारी/श्रमिक हैं तथा विस्थापित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या शून्य है।

----2

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन0सी0एल0) की जनपद सोनभद्र में अवस्थित दुद्धीचुआ परियोजना के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना हेतु उ0प्र0 वन विभाग से 555 हेक्टेयर वन भूमि को लीज पर लिया गया है तथा इस प्रकार वन विभाग की भूमि से किसी भी परियोजना प्रभावित परिवारों का विस्थापन नहीं किया गया है।

(ख) यदि हाँ, तो कब तक?

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड(एन0सी0एल0) की खड़िया परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अब तक 316 विस्थापितों को एन0सी0एल0 की खड़िया परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है तथा बीना परियोजना के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रतिष्ठान में कार्यरत M/s BGR-DECO के कुल कार्मिकों की संख्या 1449 है जिसमें जनपद सोनभद्र के 247 कर्मचारी/श्रमिक हैं तथा विस्थापित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या शून्य है जबकि दुद्धीचुआ परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि को लीज पर लिये जाने के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं है।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रश्न नहीं उठता।

अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन